



चित्रकूट-पुलिस

1.

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5.0”

सम्मान, स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम थाना बरगढ़ द्वारा चन्द्रेश इण्टर कॉलेज कस्बा बरगढ़, मिशन शक्ति टीम थाना भरतकूप द्वारा अकबरपुर, कस्बा भरतकूप में, मिशन शक्ति टीम थाना रैपुरा द्वारा कृषक इण्टर कॉलेज रैपुरा में, महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा कल्याण भारती इण्टर कॉलेज कालूपुर में, मिशन शक्ति टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा धतुरहा चौराहा, शंकर बाजार कर्वी में, एवं अन्य समस्त थानों की एन्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओ, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में

गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).05 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को किया।

(i) उ0नि0 श्री अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0नं0 475/2018 मु0अ0सं0 3265/2011 धारा 354/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त फूल सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम बनाड़ी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii) उ0नि0 श्री अनिल कुमार मय हमराह आरक्षी नन्दलाल व आरक्षी मनीष यादव थाना मऊ द्वारा मु0नं0 107/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रामजी उर्फ लुस्सा निवासी मोहनपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii) उ0नि0 श्री मुन्नीलाल व उ0नि0 श्री राजपति मय हमराह आरक्षी राकेश कुमार व आरक्षी शुभम त्रिपाठी थाना मऊ द्वारा मु0नं0 362/2015 धारा 323,504,506,324 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामखेलावन पुत्र झल्लर निवासी पूरब पताई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv) उ0नि0 श्री रवीन्द्र कटियार मय हमराह आरक्षी मनीष यादव थाना राजापुर द्वारा मु0नं0 2025/2024 अ0स0 167/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बड़कू पुत्र ननका निवासी ग्राम रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v) उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्र मय हमराह हे0का0 कमलाकान्त द्विवेदी थाना सरधुवा द्वारा मु0अ0सं0 150/2025 धारा 78(1) बीएनएस व 12 पाक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अमित उर्फ मोती पुत्र नकुल तिवारी निवासी ग्राम बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।